06(5117)

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उप0। अभियुक्त महावीर गोहद जेल से पेश। अभियुक्त जाहरसिंह व सज्जोबाई सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

A COUNTY COUNTY

प्रकरण उपीपण तर्क हेतु नियत है। उभयपक्षों के तर्क सुने गये।

अभियोजन कहानी के अनुसार मजरूवा शशि कुशवाह पत्नी महावीरसिंह निवासी अनायच को आग से जलने पर पित महावीर द्वारा दिनांक 09.11.16 को भर्ती कराया गया जिसकी दौराने इलाज दिनांक 11.11.16 को मृत्यु हो जाने से मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच में अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतिका की शादी दिनांक 04.02.16 से लगातार दहेज में एक लाख रूपये एवं चार पिहया गाडी की मांग कर प्रताडित करना, उक्त प्रताडना के कारण दिनांक 11.11.16 को शिश की मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर सामान्य से भिन्न पिरिश्वितयों में होना पाए जाने से घारा 304 बी भादवि० एवं दहेज प्रतिषेध अधि० की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त धाराओं के अधीन विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार मान० सत्र न्यायालय को होने से प्रकरण मान० सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण में द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनाक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए। HEION ARE

के की काए एकी ताष्ट्रिति कि प्रकार जेल में हैं में किए प्रकार ताष्ट्रिति कि प्रकार को निर्देशित किया जावे कि वे । ग्राफ किर्म हर्ड नाफ फिकी कारुप अमप्त के प्रमाधाफ हम् प्रिनिनाम कि क्रीएम । जुष्का में एएकर कि प्रशिक गिर्मिश काम कि एए।

मध्र तिनाम कि कान्द्री मिरामिह ई की एम एकी ताष्ट्री ति विमानिह विष् । ५क 19म समाप्त के प्रजीए एलाएए हम ० नाम कि कप्रिसिह कि कार्नी मिनामिह

1 र्डिंग 0 एह कि 11 मि ए जिए ए के इति , ए विशिष्ठा कि प्रमि

| विक्ति । विकि हिमाणि कि विकि विकिश ।

क्र जीड़ कि गिप्राक्षिप में फ़िलाप्राफ़ हम Oनाम निहम कि गिप्राफ् गिप्रक्र

किति कि निवि कि उपित फिलाएगिक हम ००नाम के नगाह एम किवाहम एपकेए त्रवाह नार एक

कि णिग्तिधृसीह अभि के ज्ञीए एल। प्राधाल रस अभिधृक्तगण की

1 कि 18th कि 71.20.21 काम्जी क्रिक निष्णिय

Colfad distt. Bhind (M.P.) Judicial Magistrate First Mass (A.K.Gupta)